कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 741 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 18 मई, 2026

विधान सभा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR 2026) कार्यक्रम की तैयारियों, रणनीति, प्रशिक्षण, तकनीकी व्यवस्थाओं एवं प्रगति की समीक्षा हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) एवं संबंधित अधिकारियों के साथ में दिनांक 15 मई, 2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार रही :–

1. डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री किशन सिंह नेगी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऑन लाईन प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों, आयोग के पत्र संख्या 23/2025–ERS (Vol-&II) दिनांक 14 मई, 2026 के अनुपालन में राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR 2026) कार्यक्रम की तैयारियों, रणनीति, प्रशिक्षण, तकनीकी व्यवस्थाओं एवं प्रगति की समीक्षा हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO),एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि SIR–2026 कार्यक्रम को आयोग की मंशा के अनुरूप गंभीरता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपादित कराया जाए तथा "No Eligible Voter To Be Left Behind" के सिद्धांत के अनुरूप प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :–

आयोग द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समस्त कार्यवाहियाँ समयबद्ध रूप से पूर्ण करायी जाएँ। BLO द्वारा दिनांक 08.06.2026 से 07.07. 2026 तक घर–घर सत्यापन की कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारी नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित किये जाएँ। BLO, BLO Supervisors, अतिरिक्त सहायक कार्मिकों एवं BLA को BLO App एवं ECINet के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

सभी BLO को प्री–फिल्ड Enumeration Forms, रिक्त Form–6, Declaration Forms एवं अन्य आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध करायी जाए तथा ERO द्वारा AC एवं Polling Station वार mapped electors का विवरण डाउनलोड कर BLO को उपलब्ध कराया जाए, जिससे घर–घर सत्यापन के दौरान गणना प्रपत्रों को भरने एवं सत्यापन में सुविधा हो सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि SIR के दौरान गणना प्रपत्रों (Enumeration Forms) को अपलोड करने, BLO App के संचालन एवं अन्य तकनीकी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक मतदेय स्थल पर BLO के सहयोग के लिए आई.टी. दक्ष कार्मिकों/Additional Helping Hands की तैनाती सुनिश्चित की जाए। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की जाए ताकि अपलोडिंग एवं ऑनलाइन प्रविष्टियों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। शहरी क्षेत्रों में Urban Local Bodies के कार्मिकों को BLO के साथ मैप करते हुए आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया जाये। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदों में रिक्त ERO पदों का अद्यतन विवरण आज ही अनिवार्य रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, जिससे आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जा सके।

निर्देशित किया गया कि Enumeration Phase के दौरान किसी भी मतदाता से दस्तावेज प्राप्त न किये जाएँ। आवश्यकता होने पर ERO/AERO स्तर से नियमानुसार नोटिस जारी कर दस्तावेज प्राप्त किये जाएँ।

आधार कार्ड को केवल पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में स्वीकार किया जाए, नागरिकता प्रमाण (Citizenship Proof) के रूप में नहीं। आधार संख्या उपलब्ध कराना पूर्णतः वैकल्पिक रहेगा।

प्रत्येक जनपद, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं ERO कार्यालय स्तर पर SIR–2026 हेतु हेल्प डेस्क/कंट्रोल रूम स्थापित किये जाएँ। हेल्प डेस्क के माध्यम से मतदाताओं, BLO एवं BLA को आवश्यक मार्गदर्शन, शिकायत निस्तारण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाए।

वर्तमान में उपलब्ध ASD (Absent–Shifted–Dead) सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ–साथ संबंधित BLA–2 को भी उपलब्ध/प्राप्त करायी जाए तथा AC एवं Part–wise ASD सूची की PDF तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

राज्य में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की कार्यवाही पूर्व में सम्पन्न हो चुकी है, तथापि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में एक बार पुनः समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराकर युक्तिकरण की कार्यवाही की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार प्रेषित किये जाएँ।

VIP Electors की वर्तमान Flagging का पुनरीक्षण करते हुए सभी पात्र VIP निर्वाचकों को उपलब्ध श्रेणियों के अनुसार चिन्हित (Flag) किया जाए। मृत, स्थानांतरित अथवा अपात्र VIP निर्वाचकों की प्रविष्टियों का परीक्षण कर आवश्यक संशोधन भी सुनिश्चित किया जाए।

सभी ERO यह सुनिश्चित करें कि कोई भी Form–6, Form–7 अथवा Form–8 नियत अवधि से अधिक लंबित न रहे तथा सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक ERO द्वारा इस संबंध में प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाए।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ERO राजनीतिक दलों के साथ आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों पर नियमित बैठकें आयोजित करें तथा समय–समय पर आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त संबंधित जनपदों की वेबसाइट एवं CEO कार्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किये जाएँ।

जिला स्तर पर विभिन्न कार्यों हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिनमें आई.टी. नोडल अधिकारी, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी, हेल्प डेस्क/कंट्रोल रूम नोडल अधिकारी, राजनीतिक दल समन्वय नोडल अधिकारी एवं प्रिंटिंग नोडल अधिकारी सम्मिलित हों।

सभी ERO, AERO एवं BLO Supervisors अपने मोबाइल फोन में ECI–Net／ECINet App डाउनलोड एवं इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की कार्यवाही नियमित रूप से संचालित की जाए।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूर्ण पारदर्शिता, शुद्धता एवं गंभीरता के साथ संपादित कराया जाए तथा आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को आवश्यक समन्वय एवं सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–741 / **XXV-25/2025** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली।
2. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय प्रति।

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

Meeting on SIR-2026 with DEOs/EROs

Meeting on SIR-2026 with DEOs/EROs